

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8628/2023

सुमन पुत्री श्री मदन लाल पत्नी लेफ्टिनेंट महेंद्र मेवाड़ा, उम्र लगभग 31 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के पास, गांव बर, जिला पाली (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. समन्वयक, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2022, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (राजस्थान)।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2022, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (राजस्थान)।
3. सचिव, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2022, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री के.आर.सहारन

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री प्रियांशु गोपा

श्री विनित सनाढ्य के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

01/04/2024

1. याचिकाकर्ता ने एक उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग की है, जिसमें प्रतिवादियों को उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने से रोकने और दस्तावेज सत्यापन में उसे आगे भाग लेने की अनुमति देने का आदेश दिया जाए, जिसमें वह खुद को शिक्षक स्तर-1 के पद के लिए पूरी तरह से योग्य और सक्षम होने का दावा करती है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि उसने विज्ञापन संख्या 12/2022 के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक स्तर 1 के पद के लिए आवेदन किया था। इससे पहले, याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षा में दो

वर्षीय डिप्लोमा (डी.ई.आई.एड.) कर रही थी और उसने 2021 में इसकी अंतिम परीक्षा दी थी। अपने पहले वर्ष के दौरान, वह अंग्रेजी विषय में फेल हो गई थी, लेकिन उसे अंग्रेजी में बैक/सप्लीमेंट्री के साथ दूसरे वर्ष में पदोन्नत कर दिया गया था।

2.2 दूसरे वर्ष में रहते हुए उसने प्रथम वर्ष के अंग्रेजी विषय के लिए पूरक परीक्षा दी, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुई। यद्यपि उसने अन्य सभी विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त की। परिणामस्वरूप, प्रथम वर्ष के अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण होने के कारण उसे डिप्लोमा प्रदान नहीं किया गया, जो कि प्रश्नगत पद के लिए पात्रता योग्यता है।

2.3 इसी बीच, 20.06.2023 को प्रतिवादियों ने एक नोटिस/विज्ञापन जारी कर दस्तावेज सत्यापन की तिथि 21.06.2023 से 30.06.2023 निर्धारित की। प्राथमिक शिक्षा दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.ई.आई.एड.) परीक्षा 2021 के अंग्रेजी विषय के परिणाम जारी होने में देरी के कारण याचिकाकर्ता को अपेक्षित योग्यता न होने के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका।

3. इस उपर्युक्त संदर्भ में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कट-ऑफ तिथि यानी 26.05.2023 तक याचिकाकर्ता के पास दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.ई.आई.एड.) नहीं था, जो एक पूर्वापेक्षा है।

5. आवेदकों को सूचित किया गया कि यदि उन्होंने अभी तक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या उपस्थित होने वाले हैं, तो इसे संबंधित कॉलम में बताया जाना चाहिए और संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित फॉर्म नंबर 3 के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, शिक्षक स्तर 1 के लिए उपस्थित होने के दौरान केवल आवेदन करने से याचिकाकर्ता को कट-ऑफ तिथि को बदलने का अधिकार नहीं मिल जाता है। कट-ऑफ तिथि तक उम्मीदवार के पास परिणाम होना चाहिए।

6. याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि कट-ऑफ तिथि तक वह दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.ई.आई.एड.) परीक्षा 2021 के लिए पूरक अंग्रेजी विषय की परीक्षा में उपस्थित हुई थी। उसमें अर्हता प्राप्त न करने के कारण कट-ऑफ तिथि तक परिणाम घोषित नहीं किया गया।

7. इसलिए, यह तर्कपूर्ण है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त कोई भी पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कट-ऑफ तिथि के बाद का होगा, क्योंकि उसका परिणाम पूर्व-दिनांकित नहीं हो सकता था।
8. परिणामस्वरूप, चूंकि याचिकाकर्ता के पास कट-ऑफ तिथि तक अपेक्षित योग्यता नहीं थी, इसलिए उसे सही रूप से अपात्र माना गया है।
9. हस्तक्षेप को उचित ठहराने का कोई आधार नहीं है।
10. तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।
11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।